



भारत सरकार /Government of India
परमाणु ऊर्जा विभाग /Department of Atomic Energy
परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र/Variable Energy Cyclotron Centre
सीएचएसएस अनुभाग / CHSS Section



1/ एएफ, बिधान नगर/1/AF, Bidhan Nagar,
कोलकाता/Kolkata – 700 064,

सं./Ref./वीईसीसी/VECC/प्रशा./Admn./सीएचएसएस/CHSS/2025 /1048

मई 20, 2025

परिपत्र/CIRCULAR

विषय: प्रतिपूर्ति के लिए दावे/बिल प्रस्तुत करने के संबंध में।

Sub : Submission of claims/bills for reimbursement.

प्रतिपूर्ति के लिए दावे/बिल जमा करने के लिए परिपत्र संख्या वीईसीसी/VECC/प्रशा./Admn./सीएचएसएस/CHSS/2025 /489 दिनांक 28.02.2025 के तहत जारी निम्नलिखित दिशा-निर्देशों को संशोधित किया जाता है। कृपया सीएचएसएस अनुभाग, वीईसीसी में प्रतिपूर्ति के लिए बिल जमा करते समय संशोधित दिशा-निर्देशों का पालन किया जाए।

The Guidelines for submission of claims/bills for reimbursement issued vide Circular No. वीईसीसी/VECC/प्रशा./Admn./सीएचएसएस/CHSS/2025/489 dated 28.02.2025 are modified herewith. The modified guidelines may kindly be followed/adhered to while submitting the bills for reimbursement in CHSS Section, VECC.

1. सेवारत और सेवानिवृत्त लाभार्थियों/दावेदारों द्वारा दवाओं, जांच आदि की प्रतिपूर्ति के लिए पूर्व-मुद्रित वैध जी.एस.टी. नंबर एवं चालान/कैश मेमो प्रस्तुत करना अनिवार्य है। वैध/सरेंडर्ड/निलंबित/निरस्त/रद्द जी.एस.टी. नंबर वाले चालान/कैश मेमो को तुरंत अस्वीकार कर दिया जाएगा।

Invoices/Cash Memo with pre-printed valid GST Number is mandatory for reimbursement of Medicines, Investigations etc by serving and retired beneficiaries/claimants. Invoices/Cash Memo with invalid/surrendered/suspended/revoked/cancelled GST number will be summarily rejected.

2. प्रतिपूर्ति के लिए प्रस्तुत सभी चालानों पर दावेदार के हस्ताक्षर, जो कि मुख्यतः चालान के दूसरे पृष्ठ/पीछे की ओर होने चाहिए।

All Invoices submitted for reimbursement shall have the signature of the claimant preferably on the overleaf/backside.

3. ओ.पी.डी. बिलों के लिए डॉक्टर के पंजीकरण नंबर के बिना दिए गए औषधिपत्र को प्रतिपूर्ति के लिए स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इसके अलावा, विशेषज्ञ डॉक्टरों अर्थात् भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 के तहत मान्यता प्राप्त एम.बी.बी.एस. से अधिक योग्यता रखने वाले डॉक्टरों द्वारा लिखे गए औषधिपत्र को ही स्वीकार किए जाएंगे।

Prescriptions without Doctor's Registration Number for OPD bills will not be entertained for reimbursement. Further, prescriptions by specialists' doctors i.e. doctors possessing higher qualification than MBBS as recognised under Indian Medical Council Act, 1956 shall only be entertained.

4. दवाओं की खरीद पर प्रतिपूर्ति के लिए एक बार में एक ही महीने के लिए दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

The Claim for reimbursement of purchase of medicines can be made for one month at a time.

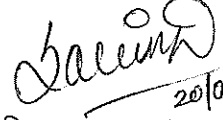
PTO

सभी सीएचएसएस लाभार्थी कृपया ध्यान दें कि उक्त निर्देशों का अनुपालन न करने पर प्रतिपूर्ति के लिए सीएचएसएस दावों की अस्वीकृति/नामंजूरी हो सकती है।

All CHSS beneficiaries may kindly not that failure to comply with the said instructions may result in non-admissibility/rejection of CHSS claims for reimbursement.

इसे निदेशक, वीईसीसी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

This is issued with the approval of Director, VECC.


20/05/2025

(सचिन जी. दिवाडकर / Sachin G. Diwadkar)

सहायक कार्मिक अधिकारी/Assistant Personnel Officer

सभी कार्मिक : सूचनापट्ट के माध्यम से /

All Employees: Through Notice Boards.

प्रतिलिपि/Copy to :-

1. निदेशक का कार्यालय, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Director's Office, VECC, Kolkata.
2. सभी वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख, वी.ई.सी.सी., कोलकाता/
Heads of Groups/Divisions/Sections, VECC, Kolkata.
3. वी.ई.सी.सी., कोलकाता स्थित प.ऊ.वि. की अन्य इकाइयों के वर्गों/प्रभागों/अनुभागों के प्रमुख/
Heads of Groups/Divisions/Sections of other DAE Units stationed at VECC, Kolkata.
4. उप लेखा नियंत्रक, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Dy. Controller of Accounts, VECC, Kolkata.
5. प्रशासनिक अधिकारी, आरआरएससी-ईस्ट, ईसरो, न्यू टाऊन, कोलकाता-700163/
Administrative Officer, RRSC-East, ISRO, New Town, Kolkata-700163.
6. उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी, वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Dy. Chief Security Officer, VECC, Kolkata.
7. सहायक निदेशक (राभा), वी.ई.सी.सी., कोलकाता / Asstt. Director (OL), VECC, Kolkata.
8. क्रय अधिकारी, सी.आर.पी.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/Purchase Officer, CRPU, DPS, Kolkata.
9. भंडार अधिकारी, सी.आर.एस.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Stores Officer, CRSU, DPS, Kolkata.
10. सहायक लेखा अधिकारी, सी.आर.ए.यू., डी.पी.एस., कोलकाता/ Assistant Accounts Officer, CRAU, DPS, Kolkata.
11. प्रभारी अधिकारी, एएमडी, कोलकाता/Officer-in-Charge, AMD, Kolkata.
12. प्रभारी अधिकारी, एनपीसीआईएल (क्यूएस), कोलकाता/Officer-in-Charge, NPCIL (QS), Kolkata.
13. सचिव, वीईसीसी कर्मचारी संगठन/Secretary, VECC Staff Association.
14. सचिव, अणुशक्ति, डॉ.बी.आर. अंबेदकर, एस.सी./एस.टी. कर्मचारी कल्याण संगठन, वीईसीसी /Secretary, Anushakti, Dr.
B. R. Ambedkar, SC/ST Employees Welfare Association